प्रेस–विज्ञप्ति

एतद्द्वारा जनपद में स्थित समस्त माध्यमिक स्तर के विद्यालयों/ महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में नाम पंजीकरण कराने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं मण्डलायुक्त गोरखपुर द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, के नियम 31(4) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना का द्वितीय पुर्न प्रकाशन दिनांक 25–10–2007 किया जा चुका है। अतः आप सभी महानभावों से अनुरोध है कि गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु अपना आवेदन–पत्र प्रारूप–19 में 07 नवम्बर,2007 से पूर्व अर्थात् विलम्बतम 06 नवम्बर,2007 के अपरान्ह 3–00 बजे तक जिलाधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी/ पदामिहित अधिकारी के कार्यालय, जिसकी सीमा में आप निवास करते हैं, में जमा(परिदत्त) कर सकते है। दिनांक 06–11–2007 की अपरान्ह 3–00 बजे के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र जमा नही किया जायेगा। फार्म–19 भरते समय यह अवश्य ध्यान रखा जाय कि घर के पता में सामान्य निवास का ही पता अंकित किया जाय न कि अपने मूल निवास का पता, नमूने का हस्ताक्षर एवं संस्था के मुखिया का प्रमाणपत्र जिसमें वह पिछले 6 वर्षो(01–11–2007 से तत्काल पूर्व 06 वर्ष के अन्दर) में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिये संस्था में स्वीकृत पद पर नियमानुसार नियमित / तदर्थ रूप से पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है/ कर रहा /रही है। आवेदनकर्ता यदि अपने आवेदन पत्र में कोई भी विवरण या घोषणा झूठ करता है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–31 के अधीन दण्डनीय होगा।

(अखिलेश तिवारी)
पदामिहित अधिकारी
गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
सुलतानपुर।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, सुलतानपुर।

संख्या 1356/निर्वाचन(शिक्षक) दिनांक 25–10–2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2–मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को सूचनार्थ।

3–जिला सूचनाधिकारी, सुलतानपुर को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को जनपद में पढे जाने वाले समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की कतरन अभिलेखार्थ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4–जिला विद्यालय निरीक्षक, सुलतानपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि इसकी एक प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशित करा दें तथा शेष प्रतियाँ शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए जनपद में व्यापक प्रचार– प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

5–समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद सुलतानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशित करा दें तथा प्रकाशन की पुष्टि लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सुलतानपुर।

7–समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

8–नजारत कलेक्ट्रेट/जिला निर्वाचन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(अखिलेश तिवारी)
पदामिहित अधिकारी
गोरखपुर–फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
सुलतानपुर।